FORM NO - 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम सिरोही

157
18.5.2022

प्रार्थी/अपीलार्थी	बनाम	अप्रार्थी/प्रत्यर्थी
श्रीमती जरावी देवी पत्नि श्री मीठालाल, जाति– गरोडा, निवासी– आमलारी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही		1. राज. राज्य द्वारा पटवारी हल्का, मेरमांडवाडा 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा – स्थगन प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 81 राज.भू राजस्व अधि.

प्रकरण संख्या: 28/2022

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18.5.2022	प्रार्थी अपीलार्थी जरावी देवी पत्नि श्री मीठालाल, जाति– गरोडा, निवासी– आमलारी, तहसील व जिला– सिरोही की ओर से यह प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 12/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.4.2022 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 तहत प्रस्तुत की गई अपील के साथ साथ प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 81 के तहत प्रस्तुत कर उप तहसीलदार, कालन्द्री के उक्त निर्णय दिनांक 22.4.2022 की पालना व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित कराने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री हितेश कुमार व श्री कैलाश जयपाल की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री ने हल्का पटवारी, मेरमाण्डवाडा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 19.4.2022 को प्रार्थी अपीलार्थी को ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा की सरकारी भूमि खसरा संख्या 2784 रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में सुनवाई तिथि 22.4.2022 का नोटिस प्रेषित किया, वह नोटिस दिनांक 21.4.2022 को अपीलार्थी को प्राप्त हुआ। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम सुनवाई तिथि 22.4.2022 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी को उक्त खसरे की रकबा 0.81 किस्म नाला भूमि का अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश दिया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस की तामील [illegible] 2022 को करवाई एवं अपीलार्थी को अधिवक्ता नियुक्त [illegible] एवं [illegible] में जवाब इत्यादि प्रस्तुत का समुचित [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर [illegible] किये बिना ही अपीलार्थी [illegible] निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक [illegible] के सिद्धान्त के विपरीत ....लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:30 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

है। यह कि अपीलार्थी ने ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2781, 2782 व 2783 व अन्य खसरों की भूमि को वर्ष 2014 में अलग अलग पंजीकृत विक्रय विलेखों से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से मौके पर अपीलार्थी बिना किसी रोक टोक के लगातार काबिज काश्त है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है; बल्कि अपीलार्थी अपने उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि पर काबिज है, जिसके मौके पर कोई नाला अस्तित्व में नही है। पटवारी ने अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि के पास स्थित खसरा संख्या 2784 की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है, जबकि प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की दो बार पैमाईश भी करवाई है। प्रार्थी अपीलार्थी के पास खरीदशुदा उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई अतिक्रमित भूमि नही है तथा अपीलार्थी का मौके पर वर्षो पुराना बाद खरीद से कब्जा है, इस कारण से इस मामलें में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के कार्यवाही के प्रावधान लागू नही होते है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है एवं यदि अपीलाधीन निर्णय के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय की पालना एवं प्रभाव को ताफैसला स्थगित रखने के आदेश पारित किये जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अपील/प्रार्थना पत्र तथा उसके संलग्न प्रस्तुत संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, मेरमाण्डवाडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2784 रकबा 0.81 हेक्टेयर किस्म नाला भूमि पर अतिक्रमण कर बाडकर कब्जा करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन नियत सुनवाई तिथि 22.4.2022 को अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुई। यह कि राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम मेरमाण्डवाडा, पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 2784 रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि की किस्म नाला भूमि दर्ज है, जो राजकीय बिलानाम भूमि है। अपीलार्थी ने राजकीय बिलानाम नाला भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नही है तथा न ही अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः, अपीलार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:30 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)